ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक– 14/11/19

मि.न.81/2019

सरकार बनाम सुरेश कुमार

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.04है0 पर सुरेश कुमार पुत्र मालचन्द जाति माली निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने नीबू के पेड लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवतएल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जरिये वकिल श्री अशोक कुमार सैनी एड. उपस्थित आया । गैर सायल द्वारा जबाब पेश किया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब मे कथन किया है कि गेर सायल की खातेदारी भमि 625/1 ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली में ही नींबू के पेड लगाये हुए है पटवारी द्वारा खसरा नंबर 617 का बिना सीमाज्ञान किये ही रिपोर्ट की है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल सुरेश कुमार पुत्र मालचन्द जाति माली निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72 है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे क्रमशः0. 04है0पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः सुरेश कुमार पुत्र मालचन्द जाति माली निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0न0617/2.72है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.04है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर लगाये गये नीबू के पेडों का

उखाडावाये जा कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.20का पचास गुणा 60 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी ,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 15/11/19को सरे इजलास सुनाया गया ।